

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बाक बनाम बैंक (कोटा)

किस्म मुकदमा प्री-पत्रा 111-128 नं० 54 सन् 2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
--------	-----------------------------------	--

6-20

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 7.7.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एव सहायक कलक्टर माण्डल

7-7-20

उभय पक्ष न उपस्थित / परीत अधिकारी राजकीय कार्यसे बाहर हो / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-7-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7-8-20

उभय पक्ष उपस्थित / परीत अधिकारी राजकीय कार्यसे बाहर हो / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद वाभिव होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण को छिटनी मर्तेवा आनाजै फिलथी जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के किन्तु एक तरफ कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तहसील पर माण्डल से प्रकरण की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमाद होकर नम्बर से अम हो।

उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुदतगा संख्या - 54/20 प्रा-पत्र

1- श्री जगदलसि बालु वील निवासी-पीयास तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री जगदलसि बालु वील निवासी-पीयास तहसील-माण्डल
- 2- श्री रामप्रसादसि श्री रामनाथशर्मासि निवासी कोटडी तहसील-भीलवाडा
- 3- राजस्थान राज्य जरी तहसीलदार माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....पीयास.....पटवार हल्का पीयास.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 3013/2868.....कुल किता 01.....रकबा 01.....बीघा 11.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-06-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीयास.....पटवार हल्का पीयास.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3013/2868.....कुल किता 01.....रकबा 01.....बीघा 11.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीयास 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा